"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 सितम्बर 2010—आश्विन 8, शक 1932

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2010

आदेश

क्रमांक एफ 4-195/सात-1/2009.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Slp(C) No. 8519/2006 में पारित आदेश दिनांक 29-9-2009 के निर्देशानुसार सार्वजनिक मार्गों/सार्वजनिक उद्यानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर अनाधिकृत रूप से धार्मिक संरचना में रोक लगाने संबंधी नीति, 2010 निम्नानुसार घोषित करता है :—

प्रस्तावना— माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष दायर Slp (C) No. 8519/2006 UOI Vs State of Gujrat & Others में जारी आदेश दिनांक 29-9-2009 द्वारा आमरास्तों, सार्वजनिक उद्यानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल यथा—मंदिर, चर्च, मस्जिद एवं गुरुद्वारा, का अनाधिकृत निर्माण नहीं किये जाने तथा पूर्व से सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित अनाधिकृत धर्म स्थलों की प्रकरणवार समीक्षा की जाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29-9-2009 को जारी आदेश की निरंतरता में दिनांक 07-12-2009 एवं दिनांक 16-2-2010 में निर्देश दिये गये हैं, जिसके प्रमुख अंश निम्नानुसार है :—

(1) "As an interim measure we direct the henceforth no unauthorized construction shall be carried out or permitted in the name of Temple, Church, Mosque, or Gurudwara etc. on public streets, public parks, or other public places etc.

In respect of the unauthorized construction of religious nature which has already taken place, the State Government and the Union Territories shall review the same on case to case basis and take appropriate steps as expeditiously as possible.

In order to ensure compliance of our directions, we direct all the district Collectors and Magistrates/Deputy Commissioners in charge of the Districts to ensure that there is total compliance of the order passed by us.

(2) The other part of the directions issued on 29th September, 2009 were that in respect of unauthorized construction of religious nature which has already taken place on public streets, public parks or other public places the state Governments and the Union Territories were directed to review the same on case to case basis and take appropriate steps as expeditiously as possible. We do not find comprehensive and satisfactory affidavits as far as this direction of the order is concerned. Therefore, it has become imperative to direct all the States and the Union Territories to formulate comprehensive policy regarding the removal/relocation/regularization of the unauthorized construction within six weeks from today. The policy should clearly indicate within what period the States and the Union Territories are going to fully comply with its policy to remove/relocate/regularize the unauthorized construction.

We also direct all the States and the Union Territories to identify unauthorized construction of religious nature on public streets, public parks and public places within six weeks from today."

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के दो मुख्य बिन्दु हैं :—

(1) भविष्य में किसी भी सार्वजनिक मार्गों/सार्वजनिक उद्यानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल का निर्माण न किया जाना सुनिश्चित किया जाए.

(2) वर्तमान में विद्यमान धार्मिक संरचनाओं का चिन्हांकन कर समय-सीमा में उनके यथास्थिति रखने/हटाने अथवा अन्यत्र स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जाये.

भविष्य में सार्वजनिक मार्गों/सार्वजनिक उद्यानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के निर्माण को रोकने हेतु सभी कलेक्टरों को दिनांक 10-11-2009 एवं 24-12-2009 को निर्देश जारी किए जा चुके हैं. कलेक्टरों को यह भी सूचित किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विरुद्ध यदि किसी धार्मिक संरचना का निर्माण किया जाता है तो कलेक्टर इसके लिए उत्तरदायी होंगे. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक धार्मिक भवन तथा स्थान विनियमन अधिनियम, 1984 में भी सार्वजनिक स्थलों में धार्मिक भवनों के निर्माण को प्रतिबंधित करने के प्रावधान हैं.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी निर्देशों के बिन्दु क्रमांक 2 के परिपालन में धार्मिक स्थलों को यथास्थिति रखने, हटाने अथवा अन्यत्र स्थानांतरित करने के उद्देश्य से नीति निर्माण आवश्यक है. प्रस्तावित नीति के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :—

(1) **चिन्हांकन**— सर्व प्रथम राज्य में स्थित धार्मिक स्थलों के चिन्हांकन का कार्य किया गया है. सार्वजनिक स्थानों में अनाधिकृत धार्मिक स्थलों के चिन्हांकन कार्य करने हेतु समस्त पटवारियों से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है. पटवारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित अनाधिकृत धार्मिक स्थलों का निरीक्षण संबंधित राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार एवं तहसीलदारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार अनुसार किया जाकर, प्रतिवेदन संबंधित जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है. राज्य में अब तक कुल 34864 धार्मिक स्थलों के चिन्हांकन का कार्य किया जा चुका है.

(2) **समिति गठन-प्रकरणवार समीक्षा**— धार्मिक स्थानों की प्रकरणवार समीक्षा एवं उस पर निर्णय हेतु जिला मुख्यालय के नगरों तथा अन्य स्थानों हेतु समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नानुसार होंगे—

(एक) जिला मुख्यालय के नगरों हेतु निम्नानुसार समिति के अध्यक्ष/सदस्य होंगे—

(1)	कलेक्टर/अपर कलेक्टर	अध्यक्ष
(2)	पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(3)	नजूल अधिकारी	सदस्य
(4)	आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी	सदस्य
(5)	मुख्य कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण	सदस्य
(6)	संभागीय अभियन्ता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी	सदस्य

(दो) अन्य स्थानों हेतु समिति के अध्यक्ष/सदस्य.

(1)	अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व.)	अध्यक्ष
(2)	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस.)	सदस्य
(3)	तहसीलदार	सदस्य

(4)	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	सदस्य
(5)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	सदस्य
(6)	कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण	सदस्य
(7)	संभागीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी.	सदस्य

(3) **निर्णय का आधार**— माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार धार्मिक स्थलों को यथास्थिति रखने/हटाने/अन्यत्र स्थानांतरित करने विषय पर निर्णय के निम्न आधार होंगे :—

(1) सार्वजनिक मार्गों के निकट स्थित धार्मिक स्थलों में सुचारू आवागमन में कठिनाई.

(2) सार्वजनिक स्थानों एवं सार्वजनिक उद्यानों पर जन असुविधा.

(3) आम निस्तारी में कठिनाइ.

(4) कानून व्यवस्था की स्थिति अथवा अन्य कोई बाधा.

(अ) जिन धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्णय लिया जाता है, उसके लिये समय-सीमा का निर्धारण किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे समस्त धार्मिक स्थल निर्धारित समय-सीमा में हटाया जाये.

(ब) जिन धार्मिक स्थल को अन्यत्र स्थानांतरित करने का निर्णय लिया जाता है, उन्हें अन्यत्र स्थापित करने हेतु आस-पास के क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमि का चिन्हांकन किया जायेगा. धार्मिक स्थल के अन्यत्र स्थानांतरण होने वाले व्यय की पूर्ति जन सहयोग से की जावेगी. उसमें किसी भी प्रकरण में शासकीय धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा.

(स) जिन धार्मिक स्थलों से उपरोक्त कोई भी बाधा उत्पन्न न हो रही हो, उन्हें यथास्थिति रखा जायेगा. ऐसे धार्मिक स्थलों से संबंधित विवरण यथा नाम, क्षेत्रफल, रख-रखाव हेतु उत्तरदायी व्यक्ति/संस्था इत्यादि का विवरण तैयार किया जायेगा राजस्व अभिलेखों में धार्मिक स्थल के कुल क्षेत्रफल के इन्द्राज करने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में संबंधित धार्मिक स्थल का अतिरिक्त विस्तार शासकीय भूमि पर किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा.

(4) **अनुशंसा/क्रियान्वयन**— उपरोक्त आधारों पर विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों द्वारा प्रत्येक धार्मिक स्थल को यथास्थिति रखने/हटाने/अन्यत्र हस्तान्तरित करने के संबंध में समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने की अनुशंसा की जायेगी. कलेक्टर द्वारा उसके जिले से संबंधित सभी अनुशंसाओं को राज्य शासन को भेजा जायेगा. राज्य शासन स्तर पर समस्त प्रकरणों की समीक्षा हेतु राजस्व सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी, समिति के अन्य सदस्य सचिव नगरीय प्रशासन, सचिव धर्मस्व एवं सचिव गृह होंगे. यह समिति सभी प्रकरणों की समीक्षा कर कलेक्टरों को समुचित निर्देश जारी करेगी जिसका पालन कलेक्टरों द्वारा किया जायेगा. जिलों द्वारा की गई कार्यवाही का मासिक प्रतिवेदन राज्य शासन को उपलब्ध कराया जायेगा. चिन्हांकित धार्मिक स्थलों पर आवश्यक कार्यवाही तीन वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा.

यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार कुजूर, सचिव.